श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

श्री सुशील कु0 मोदी
माननीय उपमुख्यमंत्री,

बिहार

श्री श्याम रजक
माननीय मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1. लक्षित जन वितरण प्रणाली

1.1. लक्षित जन वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चार आवश्यक वस्तुएं यथा गेहूँ, चावल, चीनी तथा किरासन तेल राशन कार्डधारियों के बीच वितरित किया जाता है । केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना जून, 1997 से राज्य के अन्तर्गत प्रारंभ की गयी है । इस प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मुख्यतः दो श्रेणियों क्रमशः गरीबी रेखा से उपर (ए.पी.एल.) एवं गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) में रखा गया है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में से अति गरीब परिवारों को इस प्रणाली के अन्तर्गत अत्यधिक अनुदानित दर पर अन्त्योदय अन्न योजना में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है । इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः तीन योजनाएँ क्रमशः ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय अन्न योजना संचालित की जाती हैं ।

1.2 आवंटन एवं वितरण (गेहूँ एवं चावल)-

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0, अन्त्योदय तथा ए0पी0एल0 योजना, विभाग द्वारा संचालित हैं । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती है ।

ए0पी0एल0-

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से उपर रहने वाले परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है । ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को भारत सरकार से 53,486 मे0टन गेहूँ एवं 74 मे0टन चावल का मासिक आवंटन प्राप्त है जो सभी ए0पी0एल0 परिवारों के लिए काफी कम है । इस स्थिति में इसका वितरण विभागीय बिक्री केन्द्रों तथा शहरी क्षेत्र के ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं के लिए आवंटन दिया जा रहा है । समय-समय पर भारत सरकार से इस मद में तदर्थ रूप से खाद्यान्न प्राप्त होने पर ग्रामीण एवं

एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को देने हेतु आवंटन दिया जाता है ।

बी0पी0एल0

राज्य में कुल बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या 1,37,37,607 है, परन्तु भारत सरकार से राज्य को 65.23 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों हेतु अनुदानित दर पर 35 कि0 प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है जिसमें से 25,01,000 परिवारों हेतु अन्त्योदय अन्न योजना में तथा शेष 40.22 लाख परिवारों हेतु बी0पी0एल0 योजना के तहत् खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है । राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षित कुल बी0पी0एल0 परिवारों में से 1,12,36,607 बी0पी0एल0 परिवारों को बी0पी0एल0 योजना के तहत् 5.22 रू0 प्रति किलो की दर से 10 कि0 गेहूँ एवं 6.78 रू0 प्रति किलो की दर से 15 किलो चावल कुल 25 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है ।

अन्त्योदय अन्न योजना

इस योजना के अन्तर्गत 2 रू0 प्रति किलो की दर से 14 किलो गेहूँ एवं 3 रू0 प्रति किलो की दर से 21 किलो चावल कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है ।

भारत सरकार से अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सभी विस्तार सहित कुल 25,01,000 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अत्यन्त गरीब परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त है, तदनुसार गरीबों में अति गरीब के सिद्धान्त पर प्राप्त लक्ष्य के अनुसार 25,01,000 परिवारों का चयन किया गया है । इस योजना में भारत सरकार से 25,01,000 परिवारों के लिए आवंटन प्राप्त हो रहा है । वर्त्तमान में चयनित 25,01,000 प्रत्येक परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के हथालन, परिवहन, मार्जीन मनी, जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कमीशन इत्यादि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

1.3 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का चयन

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पुनरीक्षित सर्वेक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग द्वारा कराया गया है । राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वेक्षित सूची को ही इस विभाग द्वारा भी उपयोग में लाया जा रहा है। पुनरीक्षित सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षित पारिवारिक सूची के विरूद्व प्राप्त आवेदन/आपत्ति के निष्पादन के पश्चात् 0-13 अंक प्राप्त करने वाले को ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,26,56,105 बी0पी0एल0 परिवार प्रतिवेदित हुए हैं ।

नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में 10,18,647 बी0पी0एल0 परिवार प्रतिवेदित किया गया था । पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पारिवारिक सर्वेक्षण कर पटना जिले के कुछ नगर निकाय के बढ़े हुए परिवारों की संख्या प्रतिवेदित किया गया है । उक्त

विभाग द्वारा पारिवारिक सर्वेक्षण कर इस विभाग को परिवारों की संख्या से लगातार अवगत कराया जा रहा है ।

इस प्रकार राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर बी0पी0एल0 परिवारों की कुल संख्या अभी तक 13737607 प्रतिवेदित है । राज्य को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 65.23 लाख बी0पी0एल0 (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु भारत सरकार से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होता है, जो 1.37 करोड़ परिवारों के लिए अपर्याप्त है ।

बढ़े हुए बी0पी0एल0 परिवारों हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध आवंटन से हीं सभी बी0पी0एल0 परिवारों को 25 किलो प्रति परिवार तथा अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार की दर से प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । इसके बावजूद खाद्यान्न की कमी को पूरा करने हेतु इकोनोमिक दर OMSS/अन्य मदों से भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का क्रय कर बी0पी0एल0 दर पर आपूर्ति की जा रही है । इसमें निहित खाद्यान्न के अर्न्तमूल्य का वहन राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधन से किया जा रहा है ।

1.4 अन्नपूर्णा योजना (श्वेत राशन कार्ड)

राज्य में यह योजना 01.04.2001 से लागू है । यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजनान्तर्गत राज्य में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों के 20 प्रतिशत वैसे अनाश्रय वृद्धों जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ तथा 4 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है ।

राज्य में वर्त्तमान में 1,36,341 अनाश्रय वृद्धों को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल मुफ्त आपूर्ति की जा रही है ।

1.5 उपभोक्ता स्तर के मूल्य (गेहूँ एवं चावल)

केन्द्र सरकार के निर्णय के आलोक में बी0पी0एल0 परिवारों के लिए गेहूँ का मूल्य 5.22 रू0 प्रति किलो तथा चावल का मूल्य 6.78 रू0 प्रति किलो तथा ए0पी0एल0 परिवारों के लिए गेहूँ का मूल्य 7.00 रू0 प्रति किलो तथा सामान्य एवं ग्रेड ''ए'' चावल का मूल्य क्रमशः 9.05 रू0 प्रति किलो तथा 9.41 रू0 प्रति किलो निर्धारित किया गया है । अन्त्योदय लाभुकों के लिए 2/- रूपये प्रति किलो गेहूँ एवं 3/- रूपये प्रति किलो चावल उपभोक्ता मूल्य निर्धारित है ।

1.6 आवंटन वितरण तथा मूल्य - किरासन तेल

वर्त्तमान में राज्य को 68100 के0 एल0 किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हो रहा है । इसकी प्राप्ति राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों के माध्यम से होती है । मार्च, 2011 से राज्य में किरासन तेल वितरण व्यवस्था के युक्तिकरण (Rationalisation) को संशोधित किया गया है ।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार क्रमशः 2.75 लीटर एवं 2.25 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है।

राज्य में कार्यरत किरासन तेल ठेला भेंडरों के किरासन तेल आवंटन में एकरूपता लाते हुए प्रति माह, प्रति ठेला भेंडर 750 लीटर किरासन तेल आवंटित किया जाता है ।

राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों/इकाइयों एवं नेपाल से सटे आठ जिलों में अवस्थित ग्रामीण एवं सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों के थानों एवं पुलिस चौकियों हेतु समुचित प्रकाश की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह कुल 62,110 लीटर किरासन तेल का आवंटन जिलों को उपलब्ध कराया जाता है ।

सभी जिलों को जिला सुरक्षित मद में भी किरासन तेल का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है । इसके अन्तर्गत पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, एवं भागलपुर जहाँ नगर निगम, प्रमंडलीय मुख्यालय, विश्वविद्यालय एवं अधिक संख्या में शिक्षण संस्थाएँ हैं, को 6572 लीटर प्रति-माह, भोजपुर जहाँ विश्वविद्यालय एवं नगर निगम तथा सारण जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय अवस्थित हैं को 5750 लीटर, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, नालंदा एवं मधेपुरा जहाँ प्रमंडलीय मुख्यालय, या नगर निगम या विश्वविद्यालय अवस्थित हैं, को प्रति माह 4929 लीटर तथा शेष सभी जिलों को प्रति माह 4107 लीटर किरासन तेल जिला सुरक्षित मद में आवंटित किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य में लगनेवाले हाट-बाजारों/मेलों के लिए भी जिलों को अवशेष तेल में से बराबर मात्रा में किरासन तेल आवंटित किया जाता है ।

''बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश 1984'' की 'अनुसूची IV' की कंडिका (4)' में किरासन तेल के ऑयल कंपनी, थोक किरासन तेल विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता (ठेला भेंडर) के लिए निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक (Duplicate) निर्गम शुल्क को दिनांक 21.05.09 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

	अनुज्ञप्ति शुल्क	नवीकरण शुल्क	द्वितीयक (Duplicate) प्रति निर्गत शुल्क
ऑयल कंपनी	10,000	5,000	5,000
थोक तेल विक्रेता	6,000	3,000	3,000
खुदरा विक्रेता (ठेला भेंडर)	50	10	10

1.7 आवंटन, वितरण तथा मूल्य - लेवी चीनी

भारत सरकार से राज्य को प्रति माह 21504.0 मे0टन लेवी चीनी का आवंटन राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों एवं राज्य में पदस्थापित अर्द्धसैनिक बलों के लिए माह जनवरी 2012 तक प्राप्त होता रहा है । राज्य खाद्य निगम को चीनी मिल से चीनी क्रय करने में प्रति क्वींटल 2015.11 रू0 व्यय करना पड़ता है, जबकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को एस0एफ0सी0 द्वारा 1343.15 रू0 प्रति क्वींटल की दर से आपूर्ति की जाती है । इस प्रकार राज्य खाद्य निगम को चीनी मिल से क्रय कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता को आपूर्ति करने में 671.96 प्रति क्वींटल राशि की हानि होती है । इस हानि की राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम के तहत गठित मूल्य समानीकरण कोष के माध्यम से भारत सरकार द्वारा करने का प्रावधान है । उठाव किये गये लेवी चीनी के विरूद्ध हानि की राशि 71.67 करोड़ है, जिसका भुगतान एफ0सी0आई0 से एस0एफ0सी0 को किया जाना है । भुगतान लम्बित रहने के कारण राज्य खाद्य निगम द्वारा लेवी चीनी का उठाव करने में असमर्थता व्यक्त की गई थी ।

1.8 राशन कार्ड

ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा क्रमशः राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षित परिवारों के बीच वितरण हेतु विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड, ए0पी0एल0 (हरा), बी0पी0एल0 (लाल) एवं अन्त्योदय (पीला), बिहार स्टेट टेक्सट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन द्वारा मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है । सभी जिला पदाधिकारियों को सर्वेक्षित परिवारों के बीच लाल, पीला एवं हरा राशन कार्ड वितरण का निदेश दे दिया गया है तथा वितरण का कार्य प्रगति पर है ।

1.9 जन वितरण प्रणाली दुकान

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2012 तक राज्य में कुल 43415 जन वितरण प्रणाली की दुकानें कार्यरत हैं जिनमें से 7231 दुकानें अनु0जा, 327 अनु0ज0जा, 12920 पिछड़ी जाति, 2942 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 3065 अल्पसंख्यक, 3354 महिला, 4849 पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) 213 महिला स्वयं सहायता समूह, 138 विकलांग एवं शेष दुकानें सामान्य वर्ग द्वारा संचालित की जा रही हैं । 2132 दुकानें रिक्त हैं जिन्हे भरने का निदेश सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों को दे दिया गया है ।

जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 में जन वितरण दुकानों की अनुज्ञप्ति शुल्क 400/- रू0 एवं नवीकरण शुल्क भी 400/- रू0 तथा अनुज्ञप्ति की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गयी है ।

जन वितरण प्रणाली व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में भारत सरकार के

निर्देशानुसार राज्य में जन वितरण प्रणाली के end to end computerization की कार्रवाई की जा रही है ।

- केन्द्र एवं राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत साझेदारी से कार्यान्वित की जाने वाली जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन की इस योजना के प्रथम प्रभाग में लाभुकों एवं अन्य संबंधित डाटा-बेस की इन्ट्री एवं पी0डी0एस0 पोर्टल पर इसके प्रदर्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कम्प्यूटरीकरण तथा ट्रांसपेरेंसी पोर्टल एवं शिकायत निवारण तंत्र के गठन की कार्रवाई की जा रही है ।
- जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटराईजेशन के तहत सभी प्रखंड एवं अनुमंडल आपूर्त्ति कार्यालयों तथा राज्य खाद्य निगम के 314 गोादमों में कम्प्यूटर की आपूर्ति की जा चुकी है ।
- जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटराईजेशन के तहत अबतक राज्य खाद्य निगम के गोदामों, जन वितरण प्रणाली कार्य में संलग्न कार्यालयों तथा जन वितरण प्रणाली दुकानों से संबंधित डाटा-इन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । राशनकार्डधारको से संबंधित डाटा की इन्ट्री का कार्य सम्प्रति प्रक्रियाधीन है । अब तक लगभग 75 लाख राशन कार्ड डाटा की इन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।
- खाद्यान्न के उठाव के मोनिटरिंग हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रमुख गोदामों एवं क्लोज सर्किट टेलीविजन भी लगाया जा रहा है ।
- जन वितरण प्रणाली दुकान तक बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न पहुंचाने संबंधी योजना (Door Step Delivery) पर सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है । इसे लागू करने हेतु राज्य खाद्य निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

1.10 वितरण -सह- निगरानी समिति

जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित सभी योजनाओं के खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण की निगरानी हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है । पंचायत स्तरीय निगरानी समिति में पंचायत के मुखिया संयोजक हैं तथा इस समिति में पंचायत के सरपंच, निकटतम मतों से पराजित मुखिया एवं सरपंच के उम्मीदवार, सम्बन्धित जन वितरण प्रणाली दुकान के आच्छादन क्षेत्र के वार्ड सदस्य तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि सदस्य हैं ।

इसी प्रकार शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय निगरानी समिति में वार्ड सदस्य-संयोजक, सम्बन्धित जन वितरण प्रणाली के दुकान अच्छादन क्षेत्र के वार्ड सदस्य तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि सदस्य हैं ।

अनुमण्डल स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अनुश्रवण को अधिक कारगर एवं पारदर्शी बनाने हेतु अनुमण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन किया गया है ।

इस अनुश्रवण समिति में अनुमण्डल पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी पदेन सचिव हैं तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, नगर निकाय के अध्यक्ष, क्षेत्रीय माननीय विधायक एवं माननीय सांसद के एक-एक प्रतिनिधि, अनुमण्डल अन्तर्गत पंचायत समितियों के सभी प्रमुख, तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनित 10 सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ।

1.11 ग्रामीण अनाज बैंक की स्थापना

खाद्य की कमी तथा प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में 415 ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने की भारत सरकार की योजना है । ग्रामीण अनाज बैंक में 40 क्वींटल खाद्यान्न सुरक्षित रखने की योजना है । ग्रामीण अनाज बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवार के लाभुकों को प्रति परिवार 1 (क्वींटल) खाद्यान्न (चावल) उधार के रूप में उपलब्ध कराना है । प्रत्येक बैंक के साथ 30-40 बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवार सम्बद्ध होंगे जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम एक क्वींटल अनाज उधार के रूप में दिया जा सकेगा ।

मूल्य, भंडारण एवं प्रशिक्षण तथा अनुश्रवण पर आने वाले व्यय की राशि का वहन भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से किया जाना है । परिवहन इत्यादि पर 3600/- रूपये प्रति ग्रामीण अनाज बैंक खर्च अनुमानित है जिसका 50-50 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । इसकी स्थापना हेतु राज्य के निम्न 13 जिलों को चिन्हित कर लक्षित किया गया है :-

क्रमांक	जिला का नाम	ग्रामीण अनाज बैंक की संख्या
1	मुजफ्फरपुर	45
2	सीतामढ़ी	45
3	शिवहर	16
4	पूर्वी चम्पारण	30
5	पश्चिम चम्पारण	30
6	दरभंगा	50
7	मधुबनी	50
8	समस्तीपुर	20
9	सहरसा	30
10	सुपौल	19
11	खगड़िया	25
12	कटिहार	35
13	भागलपुर	20
	कुल :-	415

1.12 <u>बिहार राशन कूपन योजना</u>

जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक सही मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा राज्य में राशन कूपन योजना लागू की गयी है । राशन कूपन योजना ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए माह जून, 2008 से पूर्ण रूप से लागू किया गया है ।

शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सर्वेक्षण नगर विकास विभाग द्वारा कराया गया है तथा शहरी क्षेत्रों में भी माह अगस्त, 08 से राशन कूपन योजना लागू की गयी है ।

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षित बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवारों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से राशन कूपन उपलब्ध कराया गया है। बी0पी0एल0 परिवारों को लाल रंग का मासिक राशन कूपन (गेहूँ एवं चावल हेतु अलग-अलग) एवं अन्त्योदय परिवारों को पीले रंग का मासिक कूपन (गेहूँ एवं चावल हेतु अलग-अलग) एकमुश्त एक वर्ष हेतु उपलब्ध कराया गया है ।

1.13 <u>बिहार किरासन तेल कूपन योजना</u>

राज्य में किरासन तेल की कालाबाजारी एवं गरीबों को किरासन तेल नही मिलने की शिकायतें बराबर मिलती रही हैं । इस समस्या को दूर करने के लिए राशन कूपन की तरह किरासन तेल कूपन योजना भी माह जून, 08 से राज्य में पूर्ण रूप से लागू की गयी है ।

किरासन तेल कूपन योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.75 लीटर की दर से एवं शहरी क्षेत्र के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.25 लीटर की दर से एक वर्ष हेतु बारह कूपन नीले रंग का निर्गत किया गया है । राशन कूपन की तरह ही उपभोक्ता द्वारा राशन कार्ड एवं कूपन दुकानदार को देने पर निर्धारित दर एवं मात्रा में किरासन तेल की आपूर्ति की जा रही है ।

2.1 <u>अधिप्राप्ति</u>

राज्य के कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं कल्याणकारी योजनाओं की खाद्यान्न की मांग की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्यक्रम राज्य में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है । खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में धान की कुल अधिप्राप्ति 30.00 लाख मे0 टन के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 2287222.28 मे0 टन अधिक प्राप्त हुई है, जो एक रिकार्ड है ।

राज्य सरकार कृषकों को उनके उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है । खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में अभिकरणवार धान/चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निम्नवत् है :-

(लाख मे0 टन में)

क्र0 सं0	अभिकरण	धान/चावल
1.	राज्य खाद्य निगम	8.00
2.	पैक्स	22.50
	कुल -	30.00

जिलावार धान/चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारण करते हुए सभी अभिकरणों को निदेशित किया गया है कि धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित किया जाय। इस मौसम में दिनांक- 16.01.2013 तक कुल धान अधिप्राप्ति 88,017,.15 मे0टन रब्बी विपणन मौसम 2012-13 में गेहूँ की कुल अधिप्राप्ति 5,16,499.30 मे0टन हुई है।

2.2 धान/चावल एवं गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा प्रत्येक सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Video Conferencing के माध्यम से जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की जाती है। अधिप्राप्ति कार्य को प्राथमिकता देते हुए इसके अनुश्रवण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित है। विभिन्न अधिप्राप्ति अभिकरणों एवं जिला स्तर से समन्वय हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किये गये हैं।

3.1 <u>प्रोन्नति एवं नियुक्ति</u>

(क) विभाग में मुख्यालय स्तर के सभी सम्वर्गों की देय नियमित प्रोन्नति एवं ए0सी0पी0 दी जा चुकी है।

(ख) आपूर्ति निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु 230 पद एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु 148 पद की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को भेजी गयी है।

3.2 <u>आरोप एवं विभागीय कार्यवाही</u>

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में खाद्यान्न वितरण एवं किरासन तेल वितरण लाभुकों के बीच कराने के विभागीय उद्देश्य के तहत अनियमितता एवं कर्त्तव्यहीनता में विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की संलिप्तता संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। विभाग के स्तर से जांच दल भेजकर एवं अधीनस्थ कार्यालय के पदाधिकारियों के माध्यम से जांच कराकर नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के क्रम में विभाग के नियंत्रणाधीन- 11 आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सम्प्रति निलंबित हैं। 47 कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र निगरानी विभाग द्वारा समर्पित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के दो पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र भी निगरानी विभाग, बिहार द्वारा समर्पित किया गया है। 20 कर्मियों के विरूद्ध समीक्षोपरान्त दण्ड संसूचित किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है ।

3.3 निरीक्षण एवं छापामारी

1. जनवरी, 2012 से अबतक कुल 49832 जन वितरण प्रणाली दुकानों का विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ।
2. निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर कुल 863 जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्तियां रद्द की गई हैं ।
3. कुल 434 छापेमारियां की गई हैं ।
4. कुल 249 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं ।
5. कुल 149 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

3.4 विभागीय संरचना

परिचय :- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य सचिवालय (मुख्यालय) स्तर से प्रखण्ड स्तर तक सम्पादित करने हेतु निम्नलिखित संरचना है ।

मुख्यालय स्थापना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत मुख्यालय स्थापना तथा क्षेत्रीय स्थापना से सम्बन्धित स्वीकृत पदों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

3.4.1 स्थापना (मुख्यालय)

पदनाम	पद संख्या
प्रधान सचिव/सचिव (भा0प्र0से0)	01
आरक्षी उपमहानिरीक्षक (आर्थिक अपराध)(भा0आ0से0)	01
अपर सचिव/संयुक्त सचिव, भा0 प्र0 से0	01
अपर सचिव (वि0प्र0से0)	01
संयुक्त सचिव (वि0प्र0से0)	02
उप सचिव (वि0प्र0से0)	01
उप सचिव (वि0स0से0)	01
अवर सचिव (वि0स0से0)	02
प्रशाखा पदाधिकारी (वि0स0से0)	10
सहायक	36
सहायक प्रोग्रामर	01
उच्च वर्गीय लिपिक	07
निम्न वर्गीय लिपिक	07
कम्प्यूटर डाटा इंट्री ऑपरेटर	02
संकलक	03
अभिलेखवाह	01
आपूर्ति लिपिक	05

कार्टो ग्राफर	01
वरीय लेखा निरीक्षक	02
सांख्यिकी सहायक	01
चालक	02
अनुसेवक	20
लेखा पदाधिकारी	01
सहायक लेखा नियंत्रक	01
प्रधान आप्त सचिव	01
आप्त सचिव	02
निजी सहायक	03
आशुलिपिक	04
ट्रेजरी सरकार	01
फरास	01
आपूर्ति निरीक्षक	05
पणन पदाधिकारी	05

3.4.2 उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय

निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण	01
निजी सहायक	01
चालक	01

3.4.3 विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्थापना की संरचना एवं प्रशासन

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विभागीय आपूर्ति कार्यो का संचालन एवं नियंत्रण सम्बन्धित जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधकारी एवं निरीक्षक सम्वर्ग के विभागीय आपूर्ति पदाधिकारियेां के अधीन होता है । बिहार राज्य में एक मात्र अनुभाजन कार्यालय पटना में कार्यरत है । क्षेत्रीय स्थापना के विभागीय पदाधिकारियों के पदों की संरचना निम्नवत् है :-

1.	उप निदेशक (खाद्य)	-		- 9
2.	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी	-	पटना	- 1
3.	उप अनुभाजन पदाधिकारी	-	पटना	- 1
4.	अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति)	-	पटना	- 1
5.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	-	37 पद स्वीकृत हैं ।	
6.	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी /सहायक अनुभाजन पदाधिकारी	-	101 पद स्वीकृत ।	

7. पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति
पदाधिकारी- संवर्ग का कुल - स्वीकृत बल- 316

8. आपूर्ति निरीक्षक का कुल स्वीकृत पद - 612

आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग में पदाधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का पदस्थापन संभव नहीं हो पा रहा है । कार्यहित में आपूर्ति कार्यो के सम्पादन हेतु रिक्त प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आपूर्ति कार्य का अस्थायी प्रभार देने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया है ।

(ख) क्षेत्रीय स्थापना :- विभागीय आदेश सं0 2842 दिनांक 19.03.1983, 457/24.01.89, 11985/15.12.79, 18169/16.01.73, 7134/18.07.85, 9430/ 27.09.77, 9572/28.09.77 एवं 6502/01.07.86 द्वारा इस विभाग के उत्तरवर्ती बिहार के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु निम्न प्रकार से पद स्वीकृत हैं :

1.	कार्यालय अधीक्षक	23
2.	प्रधान लिपिक	52
3.	उच्च वर्गीय लिपिक	22
4.	लिपिक/नि.व.लिपिक	309
5.	आशुटंकक	07
6.	टंकक	05
7.	चालक	09
8.	कैशियर	01
9.	मुख्य लेखापाल	01
10.	लेखापाल	11
11.	सहायक लेखापाल	34
12.	झाड़ूकश/पदचर/चौकीदार	131

3.5 पेंशन / प्रोन्नति

पेंशन

1. जनवरी, 2012 तक कुल 26 पेंशन मामलों लंबित हैं, जिनकी स्थिति निम्नवत् है :-

क. जिला स्तर पर लंबित - 26

कुल - 26

प्रोन्नति :-

विभाग में मुख्यालय स्तर के सभी सम्वर्गो में देय प्रोन्नति दी जा चुकी है ।

3.6 बजट

वित्तीय वर्ष 2012-13 की अद्यतन उपलब्धियाँ (दिसम्बर 2012 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्राक्कलन

क्र0	बिषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2012-13 का मूल बजट/ बि0आ0नि0/अनुपूरक से प्राप्त बजट उपबंध की कुल राशि	वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्गत आवंटन की राशि	वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवशेष राशि	वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3	4	5	6
I.	गैर योजना				
1.	मुख्यशीर्ष 3451 लघुशीर्ष 090 उपशीर्ष 0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग विपत्र कोड- N3451000900011	6,24,05,000 द्वितीय 6,00,000	6,30,05,000	शून्य	6,52,97,000
2	मुख्यशीर्ष 3456 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0001 मुख्यालय प्रभार N3456000010001	70,00,00,000 9,00,00,000	79,00,00,000	शून्य	80,00,00,000
3.	मुख्यशीर्ष 3456 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0002 जिला प्रभार N3456000010002	26,80,50,000 प्रथम 15,00,00,000 द्वितीय 5,10,00,000 46,90,50,000	41,44,69,953	5,45,80,047	40,16,61,000
4.	मुख्यशीर्ष 3456 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) N3456000010003	8,40,50,000 प्रथम 2,50,00,000 द्वितीय 1,76,50,000	10,66,59,560	2,00,40,440	15,39,23,298
5	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 103 उपभोक्ता आर्थिक सहायता उप शीर्ष 0101 बी.पी.एल. परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति P3456008000005	शीर्ष योजना में अन्तरित	....	.....	......
	योग:-(गै0यो0) I	1,44,87,55,000	1,37,41,34,513	7,46,20,487	1,42,08,81,298

1	2	3	4	5	6
II.	योजना				
6	मुख्यशीर्ष 3456 लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना उपशीर्ष 0102 बी.पी.एल परिवारों कों की अधिप्राप्ति व्यवस्थाओं खाद्यन्न की आपूर्ति P3456001020102	1,74,00,00,000 द्वितीय 49,52,00,000	1,74,00,00,000	49,52,00,000	1,75,00,00,000
7	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष 0101 बी.पी.एल. परिवारों को राज्य की अधिप्राप्ति व्यवस्था खाद्यान्न की आपूर्ति P3456007890101	1,29,92,08,000	1,29,92,08,000	शून्य	1,30,00,00,000
8	मुख्य शीर्ष 6408 उप मुख्य शीर्ष 01 लघु शीर्ष 101 उप शीर्ष 0101 खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ऋण P6408011010101	2,00,00,00,000 7,30,00,00,000	9,30,00,00,000	शून्य	9,42,02,95,000
9	मांग संख्या 03 मुख्य शीर्ष 4408 उप मुख्य शीर्ष 02 लघु शीर्ष 101 उप शीर्ष 0101 लक्षित जन वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न तथा भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण, P4408021010101	प्रथम 1,77,64,00,000 द्वितीय 70,00,00,000 2,47,64,00,000	1,57,64,00,000	90,00,00,000	2,19,27,00,000
10	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना व्यय उप शीर्ष 0103 जिला प्रभार जन वितरण प्रणाली व्यवस्था (अन्नपूर्णा) P 3456001020103	11,31,00,000	10,22,46,124 01,08,53,876	शून्य	11,31,00,000
11	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय उप शीर्ष 0101 जिला प्रभार जन वितरण प्रणाली P 3456008000101	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योगः-	15,42,39,08,000	14,02,87,08,000	1,39,52,00,000	14,77,60,95,000

1	2	3	4	5	6
12	मुख्यशीर्ष 3456 लघुशीर्ष 800, अन्य व्यय, उपशीर्ष 0406 लक्षित जन वितरण प्रणाली लाभुको के लिए जगरूकता कार्यक्रम P 3456008000406	प्रथम अनुपूरक 13,25,000	13,25,000	शून्य	उद्व्यय अप्राप्त
13	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 191 उप शीर्ष 0101 नगर निगम को सहायता निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गै0स0 सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता P3456001910101	48,00,000	शून्य	48,00,000	50,00,000
13 A	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता उप शीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गै0स0 सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता P 3456001920101	7,00,00,000	शून्य	7,00,00,000	7,00,00,000
13 B	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रों की समितियों या उनके समतुल्य उप शीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गै0स0 सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता P 3456001930101	7,25,00,000	शून्य	7,25,00,0007	,25,00,000
13 C	मुख्य शीर्ष 3456 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों को सहायता उप शीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गै0स0 सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता P 3456001980101	10,00,00,000	शून्य	10,00,00,000	10,00,00,000 (क्रम सं0 13, 13A, 13B एवं 13C कुल उपबंध की राशि 24,75,00,000)
	II योग (योजना)	15,67,25,33,000	14,03,00,33,000	1,64,25,00,000	15,02,35,95,000
	(गै0+यो0) (कुल योग) I+II	17,12,12,88,000	15,40,41,67,513	1,71,71,20,487	16,44,44,76,298

4.1 उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के तहत उपभोक्ताओं के द्वारा दायर वादों के निष्पादन के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य मुख्यालय में राज्य आयोग कार्यरत है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थाएँ की गयी हैं :

क. राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन माह मार्च 2011 से संचालित है । इस हेल्प लाईन का उपयोग राज्य के सभी नागरिक टोल फ्री नं0- 18003456188 के जरिये कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि होगी तथा उपभोक्तागण सामग्री एवं सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों/लोक उपक्रमों/दुकानदारों से सीधे रूप में अपने शिकायतों के निवारण हेतु जुड़ रहे हैं। इस प्रकार न्यायालीय परिवेश से बाहर भी उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित हो गयी है।

ख. उपभोक्ता क्लब योजना - केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी एवं अंगीभूत विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन किया जा रहा है । प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य के 500 विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह समाज संस्थान को चयनित किया गया है ।

ग. उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता विकसित करने हेतु भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया जा चुका है। इस कोष में 10 करोड़ रू0 की राशि एक ब्याज प्रदायी बैंक खाते में जमा रहेगी। जमा राशि पर उद्बुद्ध ब्याज से प्रति वर्ष राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं को उपभोक्ता जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार के लिए राशि इस कोष के माध्यम से सुलभ हो सकेगी। इस हेतु राज्यांश मद की 2.5 करोड़ की राशि व्याज प्रदायी खाता में जमा हो चुकी है। केन्द्रांश मद की राशि 7.5 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2.63 करोड़ विमुक्त किया गया है ।

4.2 (क) निगम का उद्देश्य

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0 का निबंधन दिनांक 02.04.1973 को हुआ तथा निगम ने दिनांक 01.08.1973 के प्रभाव से व्यापारिक कार्य सम्पादन करना प्रारम्भ किया । निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बाढ़, सुखाड़ एवं महामारी इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं में सरकार को अपेक्षित सहयोग देने के अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित जनोन्मुखी, सर्वोपयोगी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में पूर्णतया प्रतिबद्ध होकर निरन्तर सार्थक एवं सक्रिय प्रयास करना है । वर्त्तमान में निगम द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनान्तर्गत बिहार राज्य हेतु आवंटित खाद्यान्न का उठाव एंव वितरण कार्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में गेहूँ/धान का अधिप्राप्ति कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

(ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु क्रियान्वित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की उपलब्धि

(1) राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में निरन्तर तत्परता बरतने से टी0पी0डी0एस0 लाभुकों के बीच ससमय

ससमय खाद्यान्न आपूर्ति करने में सरकार/निगम सफल रहा है । फलतः बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य के लिए केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार से प्राप्त बी0पी0एल0 गेहूँ के आवंटन का क्रमशः 196 तथा 63 प्रतिशत उठाव हुआ । इसी प्रकार केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार से प्राप्त बी0पी0एल0 चावल का उठाव वर्ष 2012-13 में क्रमशः 102 तथा 63 प्रतिशत हुआ है । बिहार सरकार के आवंटन के विरूद्ध चावल उठाव का प्रतिशत कम होने का कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न डीपो में चावल की उपलब्धता कम रही है । इसी प्रकार अन्त्योदय योजनान्तर्गत गेहूँ/चावल के उठाव का प्रतिशत वर्ष 2012-13 में क्रमशः 100 एवं 95 प्रतिशत हुआ है । अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो भी आवंटन व्ययगत हुआ है, वह भारतीय खाद्य निगम डीपो में खाद्यान्न की अनुपलब्धता एवं डीपो स्तर पर व्याप्त अन्य संक्रियात्मक समस्याओं के कारण हुआ है । इस क्रम में सरकार द्वारा अपने संसाधन से लगभग 6 करोड़ रूपये की अन्तर राशि का 0.30 लाख मे0टन ए0पी0एल0 गेहूँ क्रय कर बढ़े हुए परिवारों के बीच वितरण किया गया है । इसके अतिरिक्त ए0पी0एल0 योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जहाँ गेहूँ का उठाव केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन के विरूद्ध 13 प्रतिशत हुआ है, उक्त योजना में चवाल का आंवटन नगण्य है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2012-13 में निगम द्वारा राज्य सरकार की एजेंसी के रूप में 1,25 लाख मे0टन अधिप्राप्ति गेहूँ किसानों से सीधे एवं 3.91 लाख मे0टन गेहूँ पैक्स के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2011-12 में निगम द्वारा राज्य सरकार के अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में जहाँ 21.56 लाख मे0टन अधिप्राप्ति धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया, वही वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में कुल 30 लाख मे0टन अधिप्राप्ति धान किसानों/पैक्सों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने का निगम का लक्ष्य है जिसमें अभीतक लगभग 71016 मे0टन अधिप्राप्ति धान का क्रय किया जा चुका है ।

(4) खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के अन्तर्गत निगम द्वारा पूरे राज्य में 534 क्रय केन्द्र खोले गये हैं । इन क्रय केन्द्रों पर किसानों से सीधे एवं पैक्स के माध्यम से धान का क्रय किया जा रहा है । धान अधिप्राप्ति कार्य के संचालन हेतु बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी द्वारा तैयार किये गये पैनल में से सभी क्रय केन्द्रों/ गोदामों पर कार्यपालक सहायक की नियुक्ति भी की गयी है ।

(5) वित्तीय वर्ष 2012-13 में भी राज्य खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति धान की नमी को मापने के लिए नमीमापक यंत्र की व्यवस्था की गयी है । क्रय केन्दों के लिए कुल 534 नमीमापक यंत्र क्रय केन्दों पर भेजा जा चुका है ।

(6) वित्तीय वर्ष 2012-13 में निगम द्वारा 182 गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक तौल-मापक यंत्र लगा दिया गया है ताकि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति करने में तौल की शुद्धता बनी रही है ।

(7) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न के उठाव पर कड़ी निगरानी रखी गयी है एवं परिवहन कार्य में अनियमितता बरतनेवाले परिवहन अभिकर्त्ता/कार्मिकों के विरूद्ध आर्थिक एवं वैधिक कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। इसी क्रम में जिन परिवहन

अभिकर्त्ता/गोदाम प्रबंधक द्वारा खाद्यान्न की क्षति की जाती है, उनसे भारत सरकार के द्वारा निर्धारित आर्थिक मूल्य (गेहूँ के लिए 1614.00 रू0 प्रति क्वींटल, सामान्य चावल के लिए 2146.00 रू0 प्रति क्वींटल एवं चावल ग्रेड-ए0 के लिए 2200.00 रू0 प्रति क्वींटल) पर खाद्यान्न क्षति की वसूली करने का प्रावधान किया गया है जबकि पूर्व में परिवहन अभिकर्त्ता से ए0पी0एल0+30 प्रतिशत की दर से एवं निगम कार्मिक से मात्र ए0पी0एल0 दर पर खाद्यान्न में हुई क्षति की वसूली की जाती थी।

(8) निगम के व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 में जहाँ निगम का कुल टर्न-ओवर 2049.55 करोड़ रूपये था, वह वित्तीय वर्ष 2011-12 में बढ़कर 2250.29 करोड़ रूपये हो गया है जो विछले वर्ष की अपेक्षा 9.79 प्रतिशत अधिक है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निगम का भावी कार्यक्रम

(1) वित्तीय वर्ष 2011-12 में निगम द्वारा बिहार राज्य के प्रखंड परिसर एवं कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में खाली भू-खण्ड पर 2.84 लाख मे0टन भण्डारण क्षमता का 423 गोदामों के निर्माण हेतु कुल 207.56 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जिसके विरूद्ध नाबार्ड द्वारा कुल 157.64 करोड़ रूपये के ऋण की स्वीकृति दी गयी है तथा सरकार द्वारा शेष राशि 49.52 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। गोदामों का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा किया जा रहा है जिसे वर्ष 2012-13 में मार्च 2013 तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि भवन निर्माण विभाग, बिहार को उपलब्ध करा दी गयी है। भवन निर्माण विभाग द्वारा 198 गोदाम (भण्डारण क्षमता 1,04,500 मे0 टन) पूर्ण करा लिया गया है, शेष गोदामों का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013-14 में कृषि रोड मैप के अनुसार अन्य एजेंसियों के अलावे बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भी 2.18 लाख मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम निर्माण कराये जाने की योजना है, जिसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी जा चुकी है। इस योजना पर कुल सम्भावित व्यय 169.27 करोड रूपया है। तत्काल 20 करोड़ रूपये का बजट उपबंध किया गया है। शेष 149.27 करोड़ रूपये की राशि का उपबंध राज्य योजना से किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2013-14 में डोर-स्टेप-डिलेवरी के अन्तर्गत उचित मूल्य के दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन कर जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को आपूर्ति करने की योजना है।

(3) वित्तीय वर्ष 2013-14 में निगम कार्यों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कराने की निगम की योजना है ताकि सूचनाओं/प्रतिवेदन का आदान-प्रदान करने एवं निगम कार्यों पर नियंत्रण रखने में सुगमता हो।

(4) केन्द्रीय सतर्कता समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं निगम के विस्तृत व्यापार तथा वर्तमान व्यावसायिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निगम कार्मिकों की कमी को पूरा करने हेतु स्वच्छ छविवाले 148 सेवा निवृत्त निगम कार्मिकों को संविदा के तहत नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संवर्गों के 227 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद के माध्यम से नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है।